न्याय निर्णायक अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

परिवाद संख्या 20/2024

राज्य सरकार जरिये खाद्य सुरक्षा अधिकारी
कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर

..........*प्रार्थी*

बनाम

श्री भोपाल सिंह पुत्र श्री ज्ञानसिंह मैसर्स कृष्णा डेयरी, टेम्पो स्टैण्ड चौराहा, धोलाभाटा, अजमेर।

........*अप्रार्थी*

खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 26 की उप धारा (2) (II) एवं धारा 51 के तहत

उपस्थित : श्री हितेश सिंह चौहान, अभिभाषक, अप्रार्थी की ओर से।

–: आदेश :–

दिनांक– 24.07.2025

शासन उप सचिव, कार्मिक विभाग राजस्थान सरकार, जयपुर द्वारा जारी अधिसूचना क्रमांक प.1(2) कार्मिक/क–4/08 दिनांक 05.04.2012 के द्वारा खाद्य सुरक्षा मानक अधिनियम 2006 की धारा 68 की उपधारा 1 के तहत प्रदत्त शक्तियो का प्रयोग करते हुए जिलो मे कार्यरत अति. जिला मजिस्ट्रेट को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अन्तर्गत उनके अधीनस्थ कार्य क्षेत्र मे लिए न्याय निर्णयन अधिकारी नियुक्त किये जाने के फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा अधिकारी कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर ने अप्रार्थी के विरूद्ध एक परिवाद इस आशय का प्रस्तुत किया कि अप्रार्थी ने अवमानक (सब स्टेण्डर्ड) पनीर का विक्रय करके खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (II) का उल्लंघन किया है, जिसके फलस्वरूप खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 51 मे जुर्माना निर्धारित हैं। खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद के साथ न्याय निर्णय आवेदन, हाजरी माफी, गजट नोटिफिकेशन की प्रति, कार्य क्षेत्र नोटिफिकेशन की प्रति पदस्थापन आदेश, माल खरीद बिल असल, फार्म नम्बर 5ए असल, फर्द रिपोर्ट असल, फार्म नम्बर 6 असल एवं प्राप्ति रसीद (पुस्त पर) खाद्य विश्लेषक अजमेर द्वारा खाद्य नमूना एवं फार्म नम्बर 6 द्वितीय प्रति की प्राप्ति रसीद, अभिहित अधिकारी द्वारा खाद्य नमूना के तीन भाग की रसीद व खाद्य विश्लेषक अजमेर की नमूना जॉच रिपोर्ट तथा अभिहित अधिकारी द्वारा पत्रावली पेश करने बाबत आवेदन फाईल करने बाबत लिखा गया पत्र की प्रति प्रस्तुत की गयी।

न्यायालय हाजा मे प्रस्तुत परिवाद के अनुसार दिनांक 13.09.2023 को 03:15 पीएम पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी मैसर्स कृष्णा डेयरी, टैम्पो स्टेण्ड चौराहा, धोलाभाटा, अजमेर पर निरीक्षण हेतु पहुँचे। विक्रेता की हैसियत से श्री भोपाल सिंह मौके पर उपस्थित मिले। विक्रेता से वर्ष 2023 का खाद्य अनुज्ञा पत्र मांगने पर उसने प्रस्तुत कर दिया। खाद्य सुरक्षा अधिकारी को निरीक्षण के समय एक बर्तन में लगभग

न्याय निर्णायक अधिकारी सत्यमेव जयते अजमेर

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (...) अजमेर

25 किलोग्राम पनीर आम जनता कों विक्रय हेतु रखा हुआ मिला। उक्त पनीर कीं गुणवत्ता का शक होने पर उनमे से नमूना जॉच हेतु 01 किलोग्राम पनीर 300/- रूपयें श्री भोपाल सिंह को नगद देकर गवाह श्री राजकुमार के समक्ष क्रय किया जाकर खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा मौके पर फार्म नम्बर 5ए की प्रतियां एवं फर्द रिपोर्ट तैयार करके इसकी एक प्रति अप्रार्थी श्री भोपाल सिंह को सम्भलाकर रसीद प्राप्त की। खरीदशुदा पनीर को विक्रेता के सामने चार साफ खुली प्लास्टिक बोतल (प्रत्येक में 250 ग्राम) में भरकर प्रत्येक बोतल में 20-20 बूंन्द फार्मेलीन की डालकर प्रत्येक बोतल पर लेबल लगाये। चारों नमूनों को भूरे कागज में लपेट कर एवं गोन्द से चिपकाने के पश्चात लेबल पर अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी अजमेर के हस्ताक्षरशुदा स्लिप नम्बर ए-4009 चिपकाने संबंधी कार्यवाही करने के बाद लिये गये नमूनों को अपने जाप्ते मे लेने के पश्चात् कार्यालय पहुँचकर फार्म नम्बर 6 की 6 प्रतियां तैयार करने एवं सील किये गये नमूने मे से एक नमूना फार्म संख्या 6 की प्रति के आउटर कवर में सीलबन्द कर, खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा मानक प्रयोगशाला, अजमेर को स्वंय जमा कराकर रसीद प्राप्त की। दो फार्म नम्बर 6 की प्रति अलग से एक लिफाफे में बन्द कर चपड़ी से सील मोहर कर खाद्य विश्लेषक, खाद्य सुरक्षा मानक प्रयोगशाला, अजमेर को स्वंय जमा कराकर रसीद प्राप्त की। शेष दो सील बन्द नमूना मय फार्म 6 की दो प्रतियों के आउटर कवर में सील बन्द कर तथा नमूने का चौथा भाग डीओ एवं मुख्य चिकित्सा व स्वास्थ्य अधिकारी अजमेर को स्वयं ने जमा कराकर रसीद प्राप्त की।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने परिवाद मे यह भी उल्लेख किया है कि अभिहित अधिकारी अजमेर के पत्र क्रमांक एफएसएसए/2023/12943 दिनांक 18.10.2023 के अनुसार खाद्य विश्लेषक अजमेर से प्राप्त जॉच रिपोर्ट सं. एलएस/1384/एक्ट/2023/1420 दिनांक 03.10.2023 के अनुसार विक्रेता द्वारा वास्ते जॉच विक्रय किया गया पनीर अवमानक (सब स्टेण्डर्ड) होना पाया गया। इस आधार पर खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने समुचित कार्यवाही किये जाने का परिवाद इस न्यायालय मे दिनांक 09.05.2024 को प्रस्तुत किया।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी से प्रकरण प्राप्त होने पर दिनांक 09.05.2024 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थी श्री भोपाल सिंह को विधिवत नोटिस जारी कर अपना पक्ष दिनांक 21.06.2024 को कार्यालय हाजा मे स्वयं या उनके प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत करने हेतु पाबन्द किया गया। दिनांक 05.03.2025 को अप्रार्थी की ओर से श्री हितेश सिंह चौहान ने वकालतनामा प्रस्तुत किया तथा दिनांक 16.07.2025 को अप्रार्थी की ओर से लिखित प्रत्युत्तर प्रस्तुत किया गया।

नियत पेशी दिनांक 24.07.2025 को वकील अप्रार्थी उपस्थित रहे। न्यायालय द्वारा अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत किये गये लिखित प्रत्युत्तर तथा खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किये गये परिवाद का अवलोकन किया गया। अपने लिखित प्रत्युत्तर में वकील अप्रार्थी ने कथन किया कि खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा अपने परिवाद में निरीक्षण की सम्पूर्ण कार्यवाही का समय अंकित नही किया है। पनीर जैसे शीघ्र खराब होने वाले खाद्य पदार्थ को सैम्पलिंग के पश्चात निश्चित तापमान पर संग्रहण किया जाना तथा शीघ्र परीक्षण किया जाना आवश्यक है परन्तुत दिनांक 13.09.2023 को सैम्पल लिये जाने के पश्चात परीक्षण लगभग 18.09.2023 से 03.10.2023 के मध्य परीक्षण किया गया अर्थात सैम्पल लिये जाने के लगभग 05 दिन पश्चात। इस अवधि में पनीर की सैल्फ लाईफ समाप्त हो सकती है तथा इस कारण गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है तथा परीक्षण की वैद्यता पर गम्भी संदेह उत्पन्न करता है। वकील अप्रार्थी ने यह भी कथन किया है कि जॉच रिपोर्ट में पनीर को सब स्टेण्डर्ड घोषित करने का एकमात्र आधार Milk Fat Content in Dry Matter का प्रतिशत है जबकि अन्य सभी परीक्षण यथा स्टार्च, यूरिया, शुगर, न्यूट्रलाइजर

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) अजमेर

नकारात्मक है, मोइश्चर प्रतिशत तथा बी आर रीडिंग सामान्य सीमा के निकट है, अतः इसे आधार बनाकर गुणवत्ता पर संदेह करना वैज्ञानिक रूप से उचित नहीं है तथा यह भिन्नता उत्पादन प्रक्रियाा, पशु आहार, मौसमी प्रभाव व दूध की ताजगी पर भी निर्भर करती है अप्रार्थी ने उपरोक्त बिन्दुओं के आधार पर प्रार्थी खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किये गये परिवाद को निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

खाद्य सुरक्षा अधिकारी द्वारा प्रस्तुत किये गये परिवाद से यह स्पष्ट है कि अप्रार्थी द्वारा वास्ते नमूना जाँच हेतु विक्रय किया गया पनीर अवमानक (सब स्टेण्डर्ड) पाया गया है। परिवाद मे वर्णित तथ्यों एवं संलग्न दस्तावेजो खाद्य विश्लेषक, अजमेर की जॉच रिपोर्ट के आधार पर विक्रय किया गया पनीर अवमानक (सब स्टेण्डर्ड) होना पाया गया, जिसके लिए अप्रार्थी दोषी प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि अप्रार्थी श्री पवन सिंह खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 एवं नियम 2006 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) के तहत अवमानक (सब स्टेण्डर्ड) खाद्य पदार्थ बेचने का दोषी हैं। जिसके लिए उपरोक्त अधिनियम की धारा 51 में अवमानक (सब स्टेण्डर्ड) पदार्थ पाये जाने पर शास्ति आरोपित किये जाने का प्रावधान किया हुआ है।चूकिं अप्रार्थी द्वारा प्रथम अपराध कारित किया गया है, अतः न्याय हित में इस चेतावनी के साथ उन्हें हिदायत दी जाती है कि वे भविष्य में इस प्रकार का अपराध पुनः कारित नहीं करेगें। उपरोक्त प्रावधान को मद्देनजर रखते हुए अप्रार्थी श्री भोपाल सिंह को जुर्माने के दण्ड से दण्डित किया जाना उचित प्रतीत होता है। अप्रार्थी द्वारा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 नियम और विनियम 2011 की धारा 26 की उपधारा 2 (ii) का उल्लंघन करने एवं अपराध कारित होने के फलस्वरूप उक्त अधिनियम की धारा 51 के अन्तर्गत अप्रार्थी श्री पवन सिंह पर रु. **10,000/- (अक्षरे रूपये दस हजार मात्र)** शास्ति आरोपित की जाती है।

अप्रार्थी उपरोक्त शास्ति राशि मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर के नाम ई ग्रास चालान के माध्यम से निर्णय दिनांक 24.07.2025 के एक माह के अन्दर राजकोष में जमा कराकर रसीद प्राप्त करे।

निर्णय लिखाया जाकर आज दिनांक 24.07.2025 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(ज्योति ककवानी)
न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

क्रमांक :सरिस्ता/अपर/2025/ 4214-17 दिनांक : 30-7-2025

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. खाद्य सुरक्षा आयुक्त एवं निदेशक (जन.स्वा.) चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, राजस्थान जयपुर।
2. अभिहित अधिकारी एवं मुख्य चिकित्सा अधिकारी व स्वास्थ्य अधिकारी, अजमेर।
3. सयुक्त निदेशक चिकित्सा एवं स्वाथ्य सेवाऐं जोन अजमेर।
4. श्री भोपाल सिंह पुत्र श्री ज्ञानसिंह मैसर्स कृष्णा डेयरी, टेम्पो स्टैण्ड चौराहा, धोलाभाटा, अजमेर।

न्याय निर्णायक अधिकारी एवं
अतिरिक्त जिला मजिस्ट्रेट अजमेर

न्याय निर्णायक अधिकारी
सत्यमेव जयते
अजमेर